



सेवेक्षण प्रमाणित

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

(कार्यालय सम्पत्ति प्रबंधक-सिविल लाइन्स, बदायूँ)

website-www.upavp.in



पत्र संख्या-

/स० प्र०/बदायूँ/भूखण्ड संख्या-

दिनांक-.....

प्रदेशन पत्र

सेवा में,
श्री/श्रीमती/कु०
पत्नी/पुत्र/पुत्री
निवासी
महोदय/महोदया,

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद की सिविल लाइन्स यो० सं०-२, भाग-२, बदायूँ, में दिनांक से दिनांक तक आवासीय भूखण्डों का आनलाइन/ऑफलाइन पंजीकरण खोला गया था। दिनांक पंजीकृत आवेदकों के मध्य सम्पन्न सार्वजनिक लाटरी झा से चयन के फलस्वरूप आपको भूखण्ड संख्या आबंटित हुआ है। आवंटित सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि का वितरण निम्नवत है :-

शहर
योजना का नाम-
भूखण्ड संख्या-
भुगतान पद्धति-
पंजीकरण धनराशि-
भूखण्ड का क्षेत्रफल-
भूमि दर-

बदायूँ
सिविल लाइन्स यो० सं०-२, भाग-२, बदायूँ

फॉर्म नंबर
सम्पत्ति श्रेणी -

किश्त

- प्रति वर्ग ० भौ०

सम्पत्ति का कुल मूल्य

भूखण्ड का मूल्य (12% प्री-होल्ड सहित)	
कार्पर प्लॉट हॉ/ना(यदि हा की दशा में 10%)	
पार्क फेसिंग/ग्रीन बेल्ट हॉ/ना(यदि हा की दशा में 5%)	
1. भूखण्ड का कुल मूल्य	
(ख) किश्त क्रय पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशियाँ:-	
1. अपेक्षित शेष पंजीकरण धनराशि	
2. प्रथम किश्त के साथ एक मुश्त (50 प्रतिशत) पंजीकरण धनराशि को समायोजित करने के उपरांत जमा धनराशि	
3. शेष धनराशि निकटम रु० 100/- के पूर्णांक में	
4. अवशेष मूल्य रु० पर 8.95 प्रतिशत ब्याज लगाकर बनायी गयी 08 त्रिमासिक किस्तों में प्रथम किश्त जो की दिनांक से देय होगी	
2. दिनांक	प्रथम किश्त के साथ देय कुल धनराशि (1+2+3+4)
विविध शुल्क -	
साईट प्लान शुल्क	
अनुबन्ध शुल्क (HPTA)	
विज्ञापन शुल्क @0.25%	
वित्तीय निष्पादन शुल्क	
अग्रिम जल शुल्क (तीन माह हेतु)	
जल संयोजन शुल्क /मल संयोजन शुल्क प्रति भूखंड	
3. कुल देय विविध शुल्क	
ड. विविध शुल्क पर जी० इस० टी०	
4. कुल योग	
5. दिनांक	तक देय कुल धनराशि (2+4)

सम्पत्ति प्रमाणित

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
122, सिविल लाइन्स, बदायूँ

भूखण्ड का कब्जा लेने हेतु दिनांक तक निम्न औपचारिकताएं पूर्ण करें:-

- (1) पंजीकरण हेतु जमा धनराशि के चालान की चतुर्थ प्रति मूल रूप में जमा करें।
- (2) राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अपने हस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर जिस पर उक्त अधिकारी द्वारा आपका नाम व पता अंकित हो दो प्रतियों में अलग-अलग प्रस्तुत करें।
- (3) बैंक में जमा अध्यावधिक भुगतान की रसीद भी प्रस्तुत करें।
- (4) कब्जा लेने हेतु शासनादेशानुसार देय स्टाम्प पेपर तथा ₹० 100/- का एक अन्य स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख टाइप कराकर प्रस्तुत करें।
- (5) निम्नलिखित प्रारूप में ₹० 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- (6) आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
- (7) ₹० 100/- का स्टाम्प पेपर वाटर मीटर बॉण्ड हेतु।

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं (नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र वर्ष निवासी निम्न प्रकार शपथ पूर्वक कहता/कहती हूँ -

1. मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अव्यस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतः अज्ञात/बदायूँ नगर में नहीं है और उ० प्र० के किसी और अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
2. मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अव्यस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3. मैं तथा मेरी पत्नी/मेरे पति एवं अव्यस्क बच्चों द्वारा उ० प्र० नगरीय सीमा में केवल एक भवन के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।
4. मेरी समस्त स्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष को वार्षिक आय, जिसमें मेरी/मेरे पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अव्यस्क बच्चे भी सम्मिलित हैं। कुल ₹० से अधिक नहीं थी।

मैं (नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान :

दिनांक :

शपथी

प्रमाणित

प्रमाणित मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने वाले फोटोग्राफ का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि मैं (नाम) पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री को भली भांति जानता हूँ। इनके हस्ताक्षर एवं फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

सम्पत्ति संख्या:

नमूना हस्ताक्षर

- 1.
- 2.
- 3.

फोटो
विपक्षी

(नोट:- फोटो, हस्ताक्षर व पता प्रमाणित कर्ता राजपत्रित अधिकारी का नाम/सुपाटा/सील होना आवश्यक है।)

हस्ताक्षर एवं प्रमाणित



सम्पत्ति प्रबन्धक
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
122, सिविल लाईन्स, बरेली

नोट-

- (1) आवेदक द्वारा नियमानुसार भूखण्ड का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान पंजीयन/सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दशों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- (2) न्यायालय के आदेश अथवा अन्य किसी कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन हुआ तो तदनुसार भुगतान करना होगा।
- (3) भूखण्ड पर कब्जा दिये जाने के बाद निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार 05 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना होगा।
- (4) उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/परिवर्तन लागू होंगे।
- (5) आप द्वारा प्रस्तुत जाति व अन्य प्रमाण पत्र में कभी भी जाँच/सत्यापन के उपरान्त असत्य पाये जाने पर भवन/भूखण्ड निरस्त कर जमा पंजीकरण धनराशि एवं ब्याज जब्त करके कब्जा वापस ले लिया जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- (6) भूखण्ड का कब्जा परिषद आवंटन तिथि से 36 माह में प्रदान करेगा। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटन की दिनांक 01.04.2020 को एस0वी0आई0 की प्रभावी ब्याज दर डब्ल्यू1 प्रतिशत के अनुसार 7.95 प्रतिशत + 1 प्रतिशत की दर से ब्याज उसी आवंटन की भुगतान किया जायेगा, जो अपनी किश्तें जमा करने में कभी डिफाल्ट न हुआ हो अथवा धनराशि एकमुश्त जमा कर दिया हो। यह भी उक्त ब्याज उस तिथि तक देय होगा जिस तिथि में परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाये तथा प्लॉटबम टर्नमेंटमप् की स्थिति में यह भुगतान देय नहीं होगा। इस संबंध में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
- (7) आवंटन लॉटरी में सफल आवेदकों को आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 30 दिनों के अंदर संपत्ति कार्यालय में उपस्थित हो कर निर्धारित प्रारूप पर विक्री करार निष्पादन पंजीकृत करना होगा।
- (8) विक्री करार निष्पादन के पश्चात कब्जा पत्र निर्गत होगा। प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि में आवंटन को अपने मूल दस्तावेजों को संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ताकि उनका सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जा सके।
- (9) आवंटन पत्र में निर्धारित तिथि के अन्दर वांछित धनराशि/औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर परिषद चिनिमम के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- (10) किसी भी देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर 10.95 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
- (11) प्रदेशन पत्र में अंकित दिनांक तक वांछित औपचारिकतायें विलम्ब में पूर्ण करने पर विलम्ब शुल्क तथा कब्जा पत्र जारी होने के बाद निर्धारित तिथि तक विलम्ब अवधि हेतु रखरखाव शुल्क रू० 50 प्रतिदिन देय होगा।
- (12) भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी व वृद्धि होने की दशा में, तदनुसार धनराशि देय होगी।
- (13) प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि में, बैंक में अवकाश होने की स्थिति में, बैंक के आगामी कार्य दिवस तक किश्त की धनराशि अथवा पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में, विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।
- (14) यदि आपके द्वारा पूर्व में आरक्षण का लाभ लिया गया है, के तथ्य को छिपाया गया है, पुष्टि/जाँच के उपरान्त तथ्य प्रकाश में आता है तो आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड का पंजीयन/आवंटन हेतु जमा की गई पंजीकरण धनराशि को जब्त करते हुये निरस्तीकरण की कार्यवाही तथा विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- (15) यदि कोई पंजीकृत आवेदक लाटरी में चयन होने के बाद परन्तु निर्गत प्रदेशन पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त कराने का आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुये अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। आवंटन तिथि से 3 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में, पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- (16) किसी भी विवाद की स्थिति में, आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
- (17) आवेदक द्वारा देय धनराशि इंडसईड बैंक के URL <https://induscollect.indusind.com/pay/index.php> से नियमानुसार जमा की जायेगी। किसी भी असुविधा की स्थिति में मुख्य शाखा प्रबन्धक श्री आयुष सक्सेना मो० 0१०-7355449745 Email: ayush.saxena@indusind.com से सूचित अवश्य करेगा।
- (18) किश्त की दशा में चालन जेनरेट किया जायेगा, आवंटन द्वारा किश्तों की दशा में भी धनराशि देय होगी।

भूखण्ड को किसी भी ऋण देने वाली संस्था के पक्ष में बंधक रखने में उ०प्र० आवास एवं विकास को कोई आपत्ति नहीं है।

सम्पत्ति प्रबन्धक

सत्यमेव जयते

आवास एवं विकास
उ०प्र० आवास एवं विकास पोर्टल
121, मिनी स्टेशन, कोरा